

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

**कार्यालय आदेश**

का0आ0सं0-प्र0-7 / विविध (कार्रवाई)-127 / 2016

पटना, दिनांक- 24-11-16

पथ प्रमण्डल सं0-1, औरंगाबाद अन्तर्गत LWE योजना के तहत अम्बा नवीनगर पथ के कि०मी० 0.00 से 24.00 तक दो लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य, कार्य वर्ष 2010-11 (Job no-LWE-BR-2009-10-115) कार्य का एकरारनामा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल सं0-1, औरंगाबाद द्वारा संवेदक M/s S & P Infrastructure and Developers Private Limited, 127 Mithila apartment, 76 IP Extension, Pratapganj, Delhi-92 के साथ एकरारनामा सं0-SBD-06 / 2010-11 किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य की राशि रू0 13,99,38,790.11 थी। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 23.08.2010 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 22.11.2011 थी।

2. कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमण्डल सं0-4, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमण्डल औरंगाबाद अन्तर्गत LWE योजना के तहत अम्बा नवीनगर पथ के कि०मी० 0.00 से 24.00 तक दो लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य, कार्य वर्ष 2010-11 की जाँच दिनांक-30.05.2011 को की गई। पुनः उक्त पथ की जाँच उड़नदस्ता प्रमण्डल-4 द्वारा 22.05.2014 एवं 23.05.2014 को की गई। उड़नदस्ता प्रमण्डल-4 द्वारा प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-93 (गो०) अनु० दिनांक-01.06.2011 एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-127 (गो०) अनु० दिनांक-03.08.2011 द्वारा समर्पित किया गया। पुनः किये गये जाँच के आलोक में प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-58 अनु० दिनांक-28.05.2014 तथा अंतिम जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-79 (गो०) अनु० दिनांक-14.07.2014 को समर्पित किया गया। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमण्डल-4 द्वारा समर्पित प्रारम्भिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन तथा पुनः जाँच का प्रारम्भिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संवेदक M/s S & P Infrastructure and Developers Private Limited के विरुद्ध निम्न बिन्दुओं पर आरोप गठित किया गया :-

2.1 प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन में दर्शायी गयी मोटाई विवरणी के अनुसार पथ के 8वें कि०मी० में कराये गए GSB कार्य की औसत मोटाई 235mm पायी गयी जबकि प्रावधान 250mm है।

2.2 गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.83% पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5% है।

2.3 गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार BUSG (45mm) कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 1.5% पायी गयी है जबकि प्रावधान 1.93% का है।

उक्त अनियमितता हेतु विभागीय पत्रांक-5572 (ई0) दिनांक-22.08.2016 के द्वारा संवेदक M/s S & P Infrastructure and Developers Private Limited को कारणपृच्छा उत्तर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

3. उक्त निदेश के आलोक में संवेदक M/s S & P Infrastructure and Developers Private Limited के पत्रांक-S & P /BHR/Aur./0012 dated 08-09-2016 के द्वारा कारणपृच्छा उत्तर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसका मूल बिन्दु निम्नवत है :-

3.1 Regarding thickness of GSB it is to be stated that the thickness of layers shall be tested just after compaction and before releasing the payments. Accordingly, the thickness, gradation, density and other technical specification got tested by our technical team and the Quality Control Officials including the Engineer to the project and payment got released. Further, the measurement of thickness of GSB layer after 4-5 years of completion and flow of overload traffic does not make any sense technically. Also the allowed tolerance for Subgrade, as per MORT & H Specification (Table 900-I), is + 10mm to -20mm. In view of the above point thickness of GSB, measured by the Flying Squad is 235mm, which is under the tolerance limit.

3.2 The contract provide for establishment of lab for testing at site. Accordingly, a Lab was established by us at site. All the required test were 1st carried out by us before execution or as per contract specification and after laying as per contract Technical Specifications, quality control method and as per direction of Engineer.

The RCD, Bihar has appointed/attached a QUALITY CONTROL CELL with a well qualified Astd. Engineer, Who under supervision of the ENGINEER, also verified all the Technical parameter including density, Gradation, thickness of different layers, Bitumen content and FI + EI average. All the Bills raised by us was paid by Executive Engineer, Road Division no. 1, Aurangabad, Bihar only after satisfying himself for the quality and getting the samples tested as per contract specifications and working manual.

In regards of Bitumen content apart from this it is to be stated that we purchased all the quantity of Bitumen from the refinery and brought the Bitumen at site,

produced the original vouchers to the officers of RCD, Bihar. The item of contract involving Bitumen were paid only after verifying the original vouchers and quantity of Bitumen brought at site.

3.3 As per Ministry's Specification on which the work got executed and Quality Control manual IRC SP: 11 (copies of extract of book is enclosed) the sample should be collected at plant for checking content of Bitumen. This may pealse be understood that as per Technical parameter as well as contract the sample should be tested just after it is coming out of the plant conveyer & not after passage of 3-5 years of work execution.

4. संवेदक से प्राप्त कारणपृच्छा उत्तर प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रासंगिक कार्य के कि०मी० 8 में GSB का Thickness 235mm था जबकि BOQ में प्रावधान 250mm था। उनके द्वारा यह कहना है कि यह Tolrance Limit के अन्तर्गत है, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि Tolrance Limit के अन्तर्गत किये गये कार्य के समानुपातिक रूप से भुगतान उनके द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि पूर्ण भुगतान लिया गया है।

SDBC कार्य में बिटुमिन की मात्रा 5% के स्थान पर 3.83% पाये जाने के संबंध में संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण में यह कहना कि मूल भाउचर एवं स्थान पर लाये गये बिटुमिन की मात्रा की जाँच के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है, मान्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि संवेदक द्वारा स्थल पर बिटुमिन लाया गया परन्तु पूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं किया गया। पूर्ण मात्रा को मिक्सिंग के समय उपयोग किया जाना संवेदक का ही दायित्व है। यही बात BUSG के मामलों में भी लागू होता है।

5. उक्त तथ्यों के अवलोक से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा समर्पित कारणपृच्छा उत्तर प्रतिवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, एवं विषयांकित कार्य में बरती गयी अनियमितता हेतु वे पूर्णरूपेण जिम्मेवार हैं।

6. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क) (ii) एवं विभागीय ज्ञापांक-4104 (ई०) दिनांक-28.10.2009 के प्रावधानों क आलोक में M/s S & P Infrastructure and Developers Private Limited, 127 Mithila apartment, 76 IP Extension, Pratapganj, Delhi-92 के (निबंधन संख्या- अ०प्र०-श्रेणी-01(प्रथम)-346/10 पथ) को अगले 2 (दो) वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।

6.1 पथ प्रमण्डल औरंगाबाद अन्तर्गत LWE योजना के तहत अम्बा नवीनगर पथ के कि०मी० 0.00 से 24.00 तक दो लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य, कार्य वर्ष 2010-11 (Job no- LWE-BR-2009-10-115) एकरारनामा सं०-SBD 06/2010-11 में पायी गयी त्रुटियों के लिए समानुपातिक

